भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2690

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना के उद्देश्य

2690. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं, जिसे 1 अप्रैल 2025 से क्रियान्वित किया जाना है तथा यह मौजूदा पेंशन योजनाओं से किस प्रकार भिन्न होगी;

(ख) नई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा या यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने से व्यक्तिगत पेंशनभोगियों के साथ-साथ समग्र अर्थव्यस्था को क्या लाभ होने की उम्मीद है; और

(ङ) यूपीएस में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा यूपीएस से एकीकृत पेंशन योजना में परिवर्तन के दौरान व्यक्तियों और संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का शुभारंभ दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन एक विकल्प के रूप में किया गया है। यह विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है, जो कर्मचारियों को बाज़ार-सम्बद्ध प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है और राजकोषीय विवेक के साथ-साथ अंतर-नागरिक और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है। यूपीएस की मुख्य विशेषताएं और लाभ निम्नानुसार हैं:-

i. न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षिता से पूर्व के 12 माह के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष तक की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
ii. कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से उसकी पत्नी/पति को सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान।
iii. न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता पर 10,000 रुपए प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान।
iv. सुनिश्चित भुगतान, सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांक। सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित होगी।

v. प्रत्येक पूर्ण छः माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग की दर से ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी।

यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं और निम्नानुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं:-

- किसी कर्मचारी के दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता प्राप्त करने के मामले में अधिवर्षिता की तिथि से;
- सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के अंतर्गत शास्ति नहीं है) के उपबंधों के अंतर्गत सेवानिवृत्त किए जाने के मामले में इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की तिथि से; और
- 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो कर्मचारी जिस तिथि को अधिवर्षिता प्राप्त करता।

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है।

******